डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 242-स] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2001—आश्विन 26, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2001

क्रमांक 5630/21-अ (प्रा.)/छग/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है :—

''छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्र. 12 सन् 2001)''.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 12 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2001

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 में आगे संशोधन करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल द्वारा भारत गणराज्य के 52वें वर्ष में यह अध्यादेश जारी किया गया.

चूंकि विधान सभा सत्र में नहीं है तथा छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल परिस्थितियों से संतुष्ट है कि उनके द्वारा त्वरित कार्यवाही करना आवश्यक है;

अत: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल द्वारा उक्त अध्यादेश जारी किया जा रहा है.

उक्त अध्यादेश के जारी रहते हुए, छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976, (जिसे इसके पश्चात् प्रमुख अधिनियम के नाम से उल्लेखित किया गया है), निम्न धाराओं में वर्णित संशोधनों के अधीन प्रभावी रहेगा.

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.

1. (1) यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2001 के नाम से जाना जावेगा.

(2) यह अध्यादेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

अनुसूची एक में संशोधन.

2. अनुसूची एक में प्रविष्टि 2 में शब्द "धान" के बाद शब्द "और चावल" अंत:स्थापित किया जायेगा.

अनुसूची दो में संशोधन.

3. अनुसूची दो में—

(1) प्रविष्टि 57 में संख्या "5" के स्थान पर संख्या "30" प्रतिस्थापित की जावेगी.

(2) प्रविष्टि 57 के बाद निम्न प्रविष्टि जोड़ी जायेगी :—

"58 चावल 20"

राज्यपाल, छत्तीसगढ़ राज्य

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2001

क्रमांक 5630/21-अ (प्रा.)/छग/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 12 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 12 of 2001)

THE CHHATTISGARH STHANIYA KSHETRA ME MAL KE PRAVESH PAR KAR (SANSODHAN) ORDINANCE, 2001

Promulgated by Governor in the fifty second year of republic of India an ordinance further to amend the Chhattisgarh sthaniya kshetra me mal ke pravesh par kar adhiniyam, 1976.

Whereas the State legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the clause (I) of article 213 of the constitution of India the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following ordinace :—

During the period of operation of this ordinance, the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (hereinafter referred to as the principle act), shall have effect subjct to amendments specified in following sections :—

Short title and Commencement.

1. (1) This ordinance may be called the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar (Sansodhan) adhyadesh, 2001.

(2) It shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

Amendment of schedule I.

2. In entry 2 of schedule I after word "paddy" words "and rice" shall be inserted.

Amendment of schedule II.

3. In schedule II—
(1) in entry 57 for number "5", number "30" shall be substituted.

(2) after entry 57 following entry shall be added :—
"58 Rice 20"

Governor of Chhattisgarh

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.